

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

परिपत्र

अध्यक्ष, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जयपुर द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदया को लिखे पत्र में उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा संबंधित ब्लॉक प्रा.शि.अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी एवं उप निदेशकों को प्रेषित प्रकरणों पर समूचित एवं समयबद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है तथा उनके द्वारा प्रेषित स्मरण पत्रों के प्रति भी गम्भीरता नहीं दिखाई जा रही है। साथ ही 25% निःशुल्क शिक्षण हेतु प्रवेशित बालकों की परिवेदनाओं के समयबद्ध निस्तारण हेतु परिवेदना निस्तारण तंत्र विकसित किये जाने एवं विद्यालयों में बालकों को भय मुक्त वातावरण में शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु शारीरिक दंड एवं मानसिक प्रताड़ना के प्रकरणों को शून्य की स्थिति तक लाए जाने की अपेक्षा की है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली एवं माननीय राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जयपुर से प्राप्त प्रकरणों पर आवश्यक रूप से 10 दिवस में कार्यवाही कर कार्यवाही रिपोर्ट माननीय बाल आयोग को प्रेषित कर निदेशालय को भी सूचित करावें। इस संबंध में किसी बालक/अभिभावक या अन्य जन से प्राप्त परिवेदना का राज्य सरकार द्वारा जारी परिवेदना मैट्रिक्स (आदेश क्रमांक:-F.21(19) शिक्षा-1/प्राशि/2009 दिनांक 23.09.2011) में उल्लेखित समयावधि में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें तथा बालकों को विद्यालय में शारीरिक दण्ड एवं मानसिक प्रताड़ना न दी जा सके इस के लिए निदेशालय से जारी आदेश क्रमांक- शिविरा/प्रारं/RTE/परिवेदना/18853/123/21 दिनांक- 31.12.2012 की अक्षरशः पालना सुनिश्चित कराई जाए।




निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रारं/RTE/A/SCPCR/18881/14-15/वॉ-1/217

दिनांक:- 4/8/15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को पत्र क्रमांक- प. 21(12) प्राशि/आयोग/RSCPCR/2015 जयपुर दिनांक 22.07.2015 के क्रम में सूचनार्थ।
2. उप सचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 2 जलपथ, गांधीनगर, जयपुर को पत्र क्रमांक:-F13(01)/RSCPCR/MIS/2014-15/583-587 जयपुर दिनांक 14.07.2015 के क्रम में सूचनार्थ।
3. उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, समस्त को पालनार्थ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, समस्त को पालनार्थ।
5. ब्लॉक प्राशि अधिकारी, समस्त को पालनार्थ।


उप निदेशक (आरटीई)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर